न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/57/2023

श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा पत्नि स्व0 श्री राम मोहन शर्मा निवासी 402, टारकोइश ''ए'' वाटिका इन्फोटेक सिटी, ठीकरिया, अजमेर रोड, जयपुर 302026

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (सामान्य) भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 04.10.2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा पत्नि स्व0 श्री राम मोहन शर्मा निवासी 402, टारकोइश ''ए'' वाटिका इन्फोटेक सिटी, ठीकरिया, अजमेर रोड, जयपुर 302026 की अपील लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (सामान्य) भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक 7038 दिनांक 18.09.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलै0 भरतपुर के पत्रांक सामान्य/अपील/2023/9090 दिनांक 27.09.2023 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से बिन्दुवार 1 लगायत 5 की सूचना चाही गई थी। चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी ने जबाव प्रस्तुत किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वॉछित सूचना प्रभारी अधिकारी आवक-जावक अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण अपने पत्रांक सामान्य/RTI(115)/2023/6809 दिनांक

जिला कलक्टर
भरतपुर

26.7.2023 से आरटीआई 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी आवक–जावक अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित कर दिया गया था।

उक्त सूचना के सन्दर्भ में प्रभारी अधिकारी आवक–जावक अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त सूचना पत्रांक आवक/2023/14 दिनांक 03.10.2023 शामिल पत्रावली किया जाकर जबाब का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी आवक–जावक अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब में अंकित किया है कि कार्यालय के पत्रांक आवक–जावक/23/04 दिनांक 04.08.2023 से अपीलार्थी के घर के पते पर बिन्दुवार जबाब की सूचना भिजवाई जा चुकी है एवं बिन्दु सं0 5 से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने हेतु राशि रू. 1302 (शब्देन एक हजार तीन सौ दो रू. मात्र) राजकोष में जमा कर सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। उक्तानुसार प्राप्त जबाब से ज्ञात होता है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है।

अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो, अपीलान्ट नियमानुसार वांछित राशि राजकोष में जमा कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी अति0 जि0ला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य/आवक–जावक अनुभाग कलै0 भरतपुर को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर